डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री हेमराज गुर्जर ,आर.ए.एस

प्रकाश बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 217 / 2014

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी सं. 5 व 6 के आराजी खसरा न. 1104 वाके ग्राम लखनपुर मे से केवल 0.01 हेक्ट. पर वादीगण व तर प्रतिवादी स. 5 व 6 को वा हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा शेष रकवा पर इन्द्राजात बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं, तथा तहसीलदार नदबई को आदेश है कि मौके पर जाकर उक्त आराजी ख.न. 1104 मे से 0.01 हैक्ट. नाप कर इसका अलग खसरा नम्बर बना करके वादीगण की कब्जे व काश्त के नापकर नया खसरा न. बनाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को वाहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज की जावे तथा शेष रकवा का नया खसरा न. बनाकर यथावत के इन्द्राजात रखे जावे, एवं मौका रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————— फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक ————— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15/01/2021 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूप्या	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

1. प्रकाश पुत्र कल्ला जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
2. चिम्मन पुत्र कल्ला जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई.
2. श्रीमान कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति नदबई
3. श्रीमान सेकेट्री साहब ग्राम पंचायत लखनपुर
4. श्रीमान सरपंच साहब ग्राम पंचायत लखनपुर।
5. रमेश पुत्र कल्लाराम जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
6. सुरेश पुत्र कल्लाराम जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज

प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:23 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी [illegible]
(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 217 / 2014
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 13/01/2021

1. प्रकाश पुत्र कल्ला जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
2. चिम्मन पुत्र कल्ला जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई.
2. श्रीमान कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति नदबई
3. श्रीमान सेकेट्री साहब ग्राम पंचायत लखनपुर
4. श्रीमान सरपंच साहब ग्राम पंचायत लखनपुर।
5. रमेश पुत्र कल्लाराम जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
6. सुरेश पुत्र कल्लाराम जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज

प्रतिवादी

उपस्थित श्री ओमप्रकाश पाराशर एड0

पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई

निर्णय

दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:23 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में वादीगण एवं प्रतिवादी में से ऐसा कोई सख्श नहीं है, जो दावा लडने योग्य नहीं यानि दोनों पक्षकार मुकदमा लडने में सक्षम है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

2. यह कि हाल आराजी खसरा न. 1104 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई में स्थित है जिसमें वादीगण के पिता संबत 2016–19 में खातेदार काश्तकार रेवन्यू दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबदी संबत हाल व संबत 2016–19 व मिलान क्षेत्रफल संबत 2060 व 2028 वाके ग्राम लखनपुर पेश है।

3. यह कि वादीगण के पिता कल्ला संबत 2016–19 से पूर्व खातेदार काश्तकार रेवन्यू दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है।

संबंत 2060	संबत 2028	संबत 2028 से पूर्व
1104	913	729

4. यह कि उक्त आराजीयात वादीगण के पिता कल्ला संबत 2016–19 से पूर्व से ही खातेदार काश्तकार रेवन्यू रिकॉर्ड दर्ज चला आ रहा है, तथा मौके पर काबिज होकर काश्त करता हुआ चला आ रहा है। वादीगण के पिता के फौत होने के बाद उपरोक्त आराजीयात पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवदीगण हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते हुये चले आ रहे हैं। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का सजरा निम्न प्रकार है :–

कल्ला			
वादी सं. 01 प्रकाश	वादी सं. 02 चिम्मन	तर.प्रतिवादी सं. 03 रमेश	तर.प्रतिवादी 04 सुरेश

तथा संबत 2028 से सैटलमेन्ट विभाग में सैटलमेन्ट अधिकारीयों ने उक्त आराजीयात का सिवायचक गैरमुमकिन पोखर दर्ज कर दिया है, जबकि सैटलमेन्ट अधिकारीयों को इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है, तथा हाल रिकॉर्ड में गैर मुमकिन पोखर के गलत इन्द्राज चल रहे हैं। जिससे वादीगण को सख्तहकतलफी है। इसलिये उक्त गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता के खातेदारी की आराजीयात में जबरन गलत तरीके से कानून के विरूद्ध मिट्टी डालकर रास्ता कायम करने पर आमादा है, जिससे वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को सख्तहकतलफी है। इसलिये वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजीयात पर गलत इन्द्राजात को कलमजन कराकर अपने आपको वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के मुश्तक हैं।

5. यह है कि प्रतिवादीगण असल द्वारा दिनांक 27.11.2014 को यह धमकी दी है कि वह गलत इन्द्राजात का फायदा उठाकर उपरोक्त आराजीयात में जबरन मिट्टी डालकर रास्ता कायम कर लेंगे तथा वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को उनके हक हकूकों से महरूम कर देंगे। जबकि प्रतिवादीगण असल को ऐसा करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। [illegible] ल प्रतिवादीगण अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो ग[illegible] [illegible] होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकती। [illegible] वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी की [illegible] से इस कदर पाबन्द करा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

पाने के अधिकारी हैं। कि वे वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता की खातेदारी काश्तकारी में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहत न करें एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे। मिटटी आदि डङ्ालकर रास्ता कायम न करें एवं न ही ऐसा कोई कार्य करें जिससे वादीगण के हक हकूको पर कोई जवाल आवें।

6. यह कि यह कि विनाय मुखास्मत योम देने धमकी दिनांक 27.11.2014 को प्रतिवादीगण असल द्वारा वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को गलत इन्द्राजात को फायदा उठाकर मिट्टी आदि डालकर रास्ता कायम करने व वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को उसके हक हकूकों से महरूम करने व कब्जे से बेदखल करने से पैदा हुई। दावा अन्दर म्याद पेश है।

7. यह है कि दावा राजस्थान कार्यक्रम अधिकारी, सरपंच व सेकेट्री के विरूद्ध पेश किया जा रहा है। इसलिये दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का है, इसलिये दफा 80(2) का दावे के साथ परमीशन हेतु पेश किया जा रहा है।

8. अतः प्रार्थना है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा न. 1104 पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। एवं हाल में चल रहे सिवायचक गैरमुमकिन पोखर के इन्द्राजात को कलमजन किया जावे तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण असल को जरिये हुक्मइम्तनाईदावामी की डिक्री से पाबन्द किया जावे कि वे गलत इन्द्राजात का फायदा उठाकर मिट्टी डालकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी में रास्ता कायम न करे एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें व मदाखलत मजामहत नहीं करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। वादीगण की ओर से विद्वान वकील ओमप्रकाश पाराशर एडवोकेट उपस्थित हुये। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये, एवं प्रतिवादी सं. 2,3,4 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, तथा तरतीवी प्रतिवादी सं. 5 व 6 को वादीगण के प्रार्थना पत्र तर्क करने बाबत् पेश किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर तरतीवी प्रतिवादी सं. 5 व 6 को दावे से तर्क किया गया एवं प्रतिवादी सं. 1 पैरोकार सरकार द्वारा जबाब दावा पत्रावली पर पेश किया गया। जो निम्नानुसार है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:23 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र में संलग्न जमाबंदी [illegible] 2019 के खाता सं. 40 पर खसरा न. 728 रकवा 1 वीघा 2 विस्वा, 729 रकवा [illegible] विस्वा, 730 रकवा 1 वीघा 2 विस्वा से बना है, जो प्रकाश, चिम्मनलाल, र[illegible], सुरेश पिसरान कल्ला कोम बाबाजी साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। दावा गलत तरीके से

सहायक कलेक्टर
[illegible] जिला भरतपुर

तहरीर किया गया है। आराजी खसरा न. 1104 रकवा 0.10 किस्म गैरमुमकिन पोखर दर्ज है। अतः दावा काबिल खारिजी के है।

वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जबाब दावा के विवेचन के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम कि गई। जो इस प्रकार है।

1. आया वादीगण विवादित आराजीयात खसरा न. 1104 में वादीगण के पिता संबत 2016–19 में खातेदार काश्तकार दर्ज है। – जिम्मेवादीगण
2. आया वादीगण सैटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा उक्त आराजीयात को सिवायचक गैरमुमकिन पोखर दर्ज कर दिया है। ऐसा करने का अधिकार सैटलमेन्ट विभाग को नहीं है। –जिम्मेवादी
3. आया वादी सेटलमेन्ट द्वारा किये गये गलत इन्द्राजात को कलमजन कर संबत 2016–19 के अनुसार अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। – जिम्मेवादी
4. आया प्रति खसरा न. 1104 रकवा 0.10 किस्म गैरमुमकिन पोखर दर्ज है, जो सिवायचक है। अतः दावा काबिल खारिजी के है।–जिम्मेप्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संबत 2066–69 वाके ग्राम लखनपुर प्रदर्श –1 नकल जमाबंदी संबत 2009–12 वाके ग्राम लखनपुर प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल संबत 2060 प्रदर्श–3 व 5, नकल मिलान क्षेत्रफल संबत 2028 प्रदर्श–4,6 नकल जमाबंदी संबत 2025 वाके ग्राम लखनपुर प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी खतौनी वाके ग्राम लखनपुर संबंत 2039–42 प्रदर्श–8, तथा मौखिक ब्यान के रूप में चिम्मन पुत्र कल्ला जाति पुजारी तहसील नदबई व पुष्कर पुत्र धनीराम जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई के पेश किये गये। उक्त गवाह से प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जिरह की गई।

प्रतिवादी की ओर से अपने समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश किये जाने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी मौखिक बयान पेश नहीं किये गये।

हमने उभयपक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन कि[illegible]। वादीगण के विद्वान वकील द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया [illegible] 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है जिसमें विवादित आराजी [illegible]04 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई पर स्थित है। जिसमें वादीगण के पिता [illegible]त 2016–19 में खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड थे तथा पूर्व से खातेदार काश्तकार के रूप में मौके पर आज तक काबिज होकर काश्त करता हुआ चला आ रहा है, तथा वादीगण के पिता फौत होने के बाद उक्त आराजीयात पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु संबत 2028 से सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीयों द्वारा उक्त आराजीयात को वादीगण की खातेदारी को कलमजन कर सिवायचक गैरमुमकिन पोखर दर्ज कर दिया गया, जिसके इन्द्राजात बदस्तूर चले आ रहे हैं, जबकि सैटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा खातेदारी के इन्द्राजातों को कलमजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये वादीगण के इन्द्राजात सिवायचक दर्ज होने से अपने खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होता है। इसलिये उक्त गलत इन्द्राजातों को कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि उक्त विवादित आराजीयात मौके पर गेहू की फसल खडी हुई है, जो प्रकाश, चिम्मन पिसरान कल्ला द्वारा फसल बोई हुई है, तथा खसरा न. 1104 खड्डे के रूप में बना हुआ है। उक्त विवादित आराजीयात के इन्द्राजात पूर्व से ही सिवायचक गैरमुमकिन पोखर के रूप में दर्ज रिकॉर्ड चले आ रहे हैं। सिवायचक व गैरमुमकिन पोखर में से खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इसलिये वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार से है।

1. आया वादीगण विवादित आराजीयात खसरा न. 1104 में वादीगण के पिता संबत 2016—19 में खातेदार काश्तकार दर्ज है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंन्दी संवत 2026 जा प्रदर्श 1 में ख0न0 1104 रकवा 0.10 हैक्ट. में सिवायचक गैर मुमकिन दर्ज है। जो नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 के अनुसार साबिक ख.न. 913 रकवा 0.8 विस्वा से बना हैं। तथा ख0न0 913 नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 प्रदर्श 3 से साबिक ख.न. 725 मिन रकवा 0.12 विस्वा तथा 729 मिन रकवा 0.01 से बना है। तथा नकल जमाबंन्दी संवत 2016 से 2019 प्रदर्श 2 के अनुसार ख0न0 729 रकवा 0.4 विस्वा पर कल्ला पुत्र मनोहर जाति बाबाजी के नाम खातेदारी अंकित है। जो वादीगण का पिता है। तथा आराजी किस्म चाही दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार से हाल ख0न0 1104 रकवा 0.10 हैक्ट. पर वादीगण को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो जाते है। इसके अलावा वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में स्वंय के ब्यान पीडब्लू 1 तथा गवाह [illegible] के [illegible] है। इसके खिलाफ प्रतिवादी ना तो कोई साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य [illegible] किये गये, न्यायालय के आदेश दिनांक 06.01.2021 को [illegible] मौके पर जाकर मौके की वास्तविक स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार नदबई से मंगवाई गई उसके अनुसार ख0न0 1104 गढढे के रूप में बना हुआ है। अत : मौका स्थिति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर
नदबई जिला भरतपुर

अनुसार ख0न0 1104 रकवा 0.10 हैक्ट. मे से जिस पर वादीगण व तरतिवी प्रतिवादीगण की काश्त हो रही है। जिस पर खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है। तथा शेष रकवा पर वादी यथावत के अन्द्राजात रखना आवश्यक है। तथा तहसीलदार नदबई मौके पर जाकर ख0न0 1104 पर पर वादी की जिस हिस्से तक काश्त हो रही है, पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष रकवा का नया खसरा न. बनाकर पूर्व के इन्द्राजात यथावत रखे जावें।

2. आया वादीगण सैटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा उक्त आराजीयात को सिवायचक गैरमुमकिन पोखर दर्ज कर दिया है। ऐसा करने का अधिकार सैटलमेन्ट विभाग को नहीं है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। सैटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी संबंत 2016–19 के अनुसार साबिक खसरा न. 729 पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी के पिता कल्ला पुत्र मनोहर की खातेदारी अंकित हो रही है, तथा वाद की जमाबंदी संबत 2028 के बाद विवादित आराजी पर सिवायचक दर्ज की गई है। जो कि कानूनन गलत है। इसके सैटलमेन्ट से पूर्व विवादित आराजीयात की किस्म चाही दर्ज थी, परन्तु सैटलमेन्ट विभाग द्वारा इसकी किस्म गैरमुमकिन दर्ज कर दी गई। जो कानूनन गलत है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में असल प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया वादी सेटलमेन्ट द्वारा किये गये गलत इन्द्राजात को कलमजन कर संबत 2016–19 के अनुसार अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण का था। तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी विवादित आराजीयात पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं, वो ऐसी स्थिति में वादीगण विवादित आराजी पर हो रहे वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन कराकर उसी अनुरूप खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

4. आया प्रति खसरा न. 1104 रकवा 0.10 किस्म गैरमुमकिन पोखर दर्ज है, जो सिवायचक है। अतः दावा काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी संबत 2016–19 के अनुसार विवादित आराजी के साबिक खसरा न. 729 पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी के पिता कल्ला पुत्र मनोहर कोम बाबाजी की खातेदारी अंकित है, तथा विवादित आराजीयात की किस्म चाही दर्ज है। इसके बाद की जमाबंदी सैटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत तरीके से विवादित आराजी की किस्म गैरमुमकिन पोखर दर्ज कर दी है, तथा सिवायचक दर्ज है जो कानूनन गलत है। उक्त गलत तरीके से की गई कार्यवाही करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी के पक्ष में किसी प्रकार का साबिक रिकॉर्ड व

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

साक्ष्य पेश नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर तथा तहसीलदार नदबई द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजीयात पर किस्म गैरमुमकिन पोखर सिवायचक विलालगानी दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा न. 1104 में गेंहू की फसल खडी हुई है। उक्त फसल की बुबाई चिम्मन, प्रकाश, पिसरान कल्ला जाति वैरागी द्वारा की गई है, तथा खसरा न. 1104 खड्डे के रूप में बना हुआ है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र आंशिक रूप से डिक्री किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी सं. 5 व 6 के आराजी खसरा न. 1104 वाके ग्राम लखनपुर मे से केवल 0.01 हेक्ट. पर वादीगण व तर प्रतिवादी स. 5 व 6 को वा हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा शेष रकवा पर इन्द्राजात बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं, तथा तहसीलदार नदबई को आदेश है कि मौके पर जाकर उक्त आराजी ख.न. 1104 मे से 0.01 हैक्ट. नाप कर इसका अलग खसरा नम्बर बना करके वादीगण की कब्जे व काश्त के नापकर नया खसरा न. बनाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को वाहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज की जावे तथा शेष रकवा का नया खसरा न. बनाकर यथावत के इन्द्राजात रखे जावे, एवं मौका रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:23 IST
Reason: SelfAttested